IDBI BANK — आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

सीआईएन : L65190MH2004GOI148838

खुदरा वसूली : 8वीं मंजिल, प्लेट–बी, ब्लॉक–2, एनबीसीसी कार्यालय परिसर, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली–110023, दूरभाष: 011–69297235/34/33 वेबसाइट: www.idbibank.in

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना

जबकि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत अधोहस्ताक्षरी **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, उक्त अधिनियम, धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **30.05.2026** को एक डिमांड नोटिस जारी किया गया,जिसमें उधारकर्ताओं **श्रीमती किरण मिश्रा और श्री देवाशीष मिश्रा** को नोटिस में बताई गई **10.04.2026** तक **रु. 74,08,312/– (चौहत्तर लाख आठ हज़ार तीन सौ बारह रुपये)** की राशि, एवं उस पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्चों को नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकाने के लिए कहा गया।

उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता को विशेषरूप से और सामान्य तौर पर आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित,उक्त अधिनियम की धारा 13 के धारा उप (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का **24 अगस्त 2026** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर 10.04.2026 तक **रु.74,08,312/– (चौहत्तर लाख आठ हज़ार तीन सौ बारह रुपये)** सहित उस पर आगे के ब्याज और कानूनी खर्च आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप धारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान भी आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश जिसमें सम्पत्ति #202, दूसरी मंज़िल, किंग्स्टन टाउन टॉवर, ओमैक्स एनआरआई सिटी, ओमेगा II, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 शामिल है, साथ ही उस पर मौजूद सभी मौजूदा और भविष्य के निर्माण और ढाँचे भी शामिल हैं।

दिनांक: 24.08.2026 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: नई दिल्ली — आईडीबीआई बैंक लिमिटेड.

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

टी.ए. नं. 1183/2022

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .....आवेदक

बनाम

श्री विशाल अग्रवाल एवं अन्य ...प्रतिवादी

सेवा में,

(1) श्री विशाल अग्रवाल, मकान नंबर 231 दूसरी मंजिल पाल मोहल्ला रेलवे कॉलोनी मंडावली दिल्ली–110092 और: 150 वाल नगर गढ़ी तमन्ना हाथरस 204101 और: यू–110 पहली मंजिल कार्यालय एनओएफएफ–9 शकरपुर दिल्ली–110092

(2) श्रीमती बंदना अग्रवाल, मकान नं. 231 दूसरी मंजिल पाल मोअल्ला रेलवे बोलोनी मंडावली दिल्ली–110092

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रुपये **50,15,153/-** (रु. पचास लाख पद्रंह हजार एक सौ तिरेपन मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना देना संभव नहीं है। इसलिए यह सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी गई है, आपको **दिनांक 07.12.2026 को एलडी. रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट **www.tribunal.gov.in** देखें फोन : 011–23748473 पर फोन करे) ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

(i) सभी संबंधित व्यक्ति अपने मामलों में हाइब्रिड मोड (न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर या सिस्को वेबएक्स वीसी लिंक के माध्यम से) से भाग ले सकते हैं।

(ii) वी.सी. के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिवक्ता/वादीगण सिस्को वेबएक्स एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे

(iii) योग्य मामले की सुनवाई की अगली तारीख के "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–। / और वसूली अधिकारी–।। द्वारा प्राप्त किये जाएँगे, सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत वेब आधिकारिक पोर्टल अर्थात drt.gov.in की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होंगे।

(iv) किसी भी आवश्यकता हेतु, अधिवक्ता/वादी, संबंधित अधिकारी से फोन नं. 011–23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **17 अगस्त, 2026** को दिया गया।

इस न्यायाधिकरण **के आदेशानुसार**

सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालय: पहली मंजिल, 216/सी–12, पुराना नंबर सी–12, प्लॉट नंबर 13–बी, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092– दिल्ली–भारत

1. **अधिकृत अधिकारी, यशवीर, मोबाइल नंबर: 8077989724, ईमेल आईडी : yashveer@sitaara.in**
2. **नीलामी सेवा प्रदाता – सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क व्यक्ति – बालाजी मन्नूर, मोबाइल नंबर : 7977701080**

ई–नीलामी बिक्री सूचना

[नियम 8(6) एवं (7) के साथ नियम 9(1) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 देखें]

सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/उधारकर्ताओं तथा गारंटर/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (सुरक्षित लेनदार) को गिरवी रखी गई नीचे उल्लिखित संपत्तियों का भौतिक कब्जा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के प्रावधानों के तहत पहले ही ले लिया गया है और चूंकि सुरक्षित लेनदार अपने अधिकृत अधिकारी के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्ता(ओं) और बंधककर्ता(ओं) से देय राशि (ब्याज, शुल्क आदि सहित) की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित संपत्तियों को ई–नीलामी के लिए प्रस्तुत करेगा। नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो भौतिक कब्जे में है,की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव/बोली आमंत्रित की जाती है। यह खरीद 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर और 'बिना किसी प्रतिफल के' की जा रही है, क्योंकि यह बिक्री किसी भी प्रकार की गारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है।

नीचे उल्लिखित संपत्तियों की बिक्री वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से ऑनलाइन ई–नीलामी द्वारा की जाएगी और इसका संचालन एसजीआरएल द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता "सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" द्वारा किया जाएगा।

निरीक्षण तिथि एवं समय: 30–09–2026 को शाम 6:00 बजे के बीच

बोली/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 01–10–2026, शाम 5:00 बजे तक

नीलामी तिथि एवं समय: 03–10–2026, को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक(5 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ)

ऋणकर्ताओं/ सह–ऋणकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/ गारंटरों	बकाया राशि (रु.)	अचल संपत्ति (सुरक्षित परिसंपत्ति) का विवरण:	आरक्षित मूल्य (आरपी) / बयाना जमा (ईएमडी) (आरपी का 10%)	न्यूनतम वृद्धिशील बोली मूल्य
1. श्रीमती मंजू तोमर, पत्नी श्री सतीश कुमार तोमर (उधारकर्ता) 2. श्री सतीश कुमार तोमर, पुत्र श्री जनक सिंह तोमर 3. श्री अभिषेक तोमर, पुत्र श्री सतीश तोमर 4. श्री प्रशू तोमर, पुत्र श्री सतीश तोमर (सह–उधारकर्ता)	ऋण खाता संख्या: H5CP00000501 3371 में 31–01–2025 तक रु. 5,11,176/– (पाँच लाख ग्यारह हज़ार एक सौ छिहत्तर रुपये और शून्य पैसे मात्र) बकाया हैं।	प्लॉट नं. 57, पीली पोखर, गाटा/खसरा नंबर 1563, मौजा पोइया, तहसील एल्मादपुर, ज़िला आगरा, उत्तर प्रदेश। सीमाएँ: पूर्व: प्लॉट नंबर 62, पश्चिम: 20 फ़ीट चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट नंबर 56, दक्षिण: प्लॉट नंबर 58 गिरवी रखी गई सम्पत्ति (प्लॉट) का क्षेत्रफल 720 वर्ग फ़ीट है।	रु. 3,96,000 रु. 39,600	रु. 10,000

नियम एवं शर्तें: 1. अधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्तियों पर लगे भार, स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी का विज्ञापन कंपनी की ओर से कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति कंपनी को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के भारों सहित बेची जा रही है। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय–पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं/बकाया वैधानिक देयताओं/करों आदि के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे। 2. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और उसके विवरण का निरीक्षण करना और स्वयं को संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति के विवरण के सामने उल्लिखित स्थानों पर करने की अनुमति होगी। 3. इस ई–नीलामी के सभी इच्छुक प्रतिभागियों को बोली/निविदा प्रपत्र भरकर आरक्षित मूल्य के 10: की ईएमडी के साथ अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा। सभी प्रतिभागियों/बोलीदाताओं को ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता "सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" के वेब पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करनी होंगी और उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा, जिसके पक्ष में उपर्युक्त गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री होगी। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत बोलियां/अधूरी बोलियां अस्वीकृत की जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उपरोक्त व्यक्तियों से https://www.bankeauctions.com पर संपर्क करें, संपर्क व्यक्ति: श्री बालाजी मन्नूर, मोबाइल नंबर: 7977701080, सहायता नंबर: 07291981124/25/26, ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com; mannur.govindarajan@c1india.com। 4. ऑनलाइन बोलीदाता एतद्वारा सहमत है कि एक बार अधिकृत अधिकारी के समक्ष योग्य बोली का औपचारिक पंजीकरण हो जाने के बाद, उसे इस दस्तावेज को जमा करके ई–नीलामी बोली मंच के माध्यम से भाग लेने में अपनी रुचि व्यक्त करनी होगी। निविदाकर्ता/ऑनलाइन बोलीदाता की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह नीलामी सेवा प्रदाता से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करे। बोली प्रपत्रों के साथ निम्नलिखित केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होनी चाहिए, जैसे: (प) पैन कार्ड (पप) आधार कार्ड/पासपोर्ट (पपप) वर्तमान पते का प्रमाण (पअ) वैध ईमेल आईडी (अ) संपर्क नंबर (मोबाइल/लैंडलाइन) (अप) नीलामी में भाग लेने के लिए बोर्ड संकल्प (किसी कंपनी के लिए) आदि। उक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां ऊपर दिए गए ईमेल आईडी पर जमा करें। अधिक जानकारी के लिए,कृपया मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उपरोक्त व्यक्तियों से https://www.bankeauctions.com पर संपर्क करें, संपर्क व्यक्ति: श्री बालाजी मन्नार, मोबाइल नंबर: 7977701080, सपोर्ट नंबर: 07291981124/25/26, ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com; mannur.govindarajan@c1india.com। 5. बयाना जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से (जिसकी रसीद बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित खाते में 01.10.2026 शाम 5:00 बजे तक जमा की जानी चाहिए। खाताधारक का नाम – सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, खाता संख्या–57500001848343, IFSC कोड: HDFC0000060 या सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, अधिकृत अधिकारी को संबोधित, पता: प्रथम मंजिल, 216/सी–12, पुराना नंबर सी–12, प्लॉट नंबर 13–बी, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092 । 6. अधूरे भरे गए बोली प्रपत्र या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त ईएमडी को अमान्य माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि इस ई–नीलामी का सफल बोलीदाता, प्रस्ताव/बोली स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद या उसके एक दिन बाद भी बिक्री मूल्य/बोली मूल्य (ईएमडी सहित) का 25: भुगतान करने में असमर्थ रहता है (एसएआरएफएईएसआई नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार), या सफल बोलीदाता घोषित होने के बाद नीलामी से हटना चाहता है, तो यह ईएमडी सुरक्षित लेनदार/एसजीआरएल को जब्त कर ली जाएगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। 7. बिक्री मूल्य/बोली मूल्य का शेष 75: वित्तीय संस्था/सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर या अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत विस्तारित अवधि के भीतर भुगतान करना होगा, अन्यथा क्रेता/बोलीदाता द्वारा पहले से भुगतान/जमा की गई राशि और संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावे जब्त कर लिए जाएंगे, जिस पर इसे बाद में बेचा जा सकता है। बिक्री मूल्य के भुगतान के समय और संबंधित समय–सीमाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया सरफेसी नियम 2002 के नियम 9(3), 9(4) और 9(5) देखें। 8. किसी भी स्थिति में संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। संपत्ति उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएगी, बशर्ते कि सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बोली स्वीकार कर ली जाए। 9. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, बोली जमा करने और ई–नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने से पहले हमारी वेबसाइट www.sgrlimited.in और https://www.bankeauctions.com देखें। 10. उधारकर्ता/गारंटर इसे सुरक्षा/हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत नोटिस मान सकते हैं और उन्हें इस नोटिस की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित दायित्व (अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत सहित) का पूर्ण भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा परिसंपत्तियों की बिक्री उपरोक्त उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार और नीलामी सेवा प्रदाता के ऑनलाइन पोर्टल पर की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, उपर्युक्त कार्यालय पते पर अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

दिनांक: 30.08.2026, — **हस्ताक्षर/–, अधिकृत अधिकारी, सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**
स्थान: ज़िला आगरा, उत्तर प्रदेश — **(पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)**

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालय: नंबर 167–169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई – 600015, तमिलनाडु, भारत,
शाखा कार्यालय: एफ8, महालक्ष्मी टावर, सेक्टर 4, वैशाली, गाज़ियाबाद–201010

संपर्क विवरण:– जेडआरएम: पवन पांडे (8010562716) | आरआरएम: शशि मिश्रा (9718025303) एएलएम: अरुण मोहन शर्मा 8800898999 ईमेल: **auction@hindujahousingfinance.com**

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत एचएचएफएल को गिरवी रखी गई चल एवं अचल संपत्तियों की बिक्री।

एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। व्यापक तौर पर जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित प्रतिभूत संपत्ति निजी संधि/सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से, एचएचएफएल के लिए सहमत शर्तों पर, 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर अपने बकाया की वसूली के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध है।

मानक नियम एवं शर्तें: 1. बिक्री कठोरता से 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर की जाएगी। 2. क्रेता को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। इसे स्वीकृति पर आवश्यक 25% जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 3. एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर, खरीदार को बिक्री प्रतिफल का 25% (प्रारंभिक 10% सहित) अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा। 4. बिक्री प्रतिफल का शेष 75% भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर करना होगा। 5. निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशि स्वतः जब्त हो जाएगी और संपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के दोबारा बेचा जा सकता है। 6. यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो शुरूआती 10% जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 7. संपत्ति सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेची जाती है, चाहे एचएचएफएल को ज्ञात हो या अज्ञात। एचएचएफएल किसी तीसरे पक्ष के दावे, अधिकार या वैधानिक बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 8. खरीददार को संपत्ति के सभी पहलुओं की स्वतंत्र रूप से पूरी जाँच–पड़ताल करनी चाहिए। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 9. एचएचएफएल बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 10. नीलामी/बोली केवल 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से होगी या नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी। 11. बोलीदाता ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी पसंद के स्थान से भाग ले सकते हैं। प्रतिभूति ऋणदाता/सेवा प्रदाता को किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 12. ई–नीलामी पर किसी भी विवरण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर – 44, गुड़गांव, हरियाणा– 122003 (संपर्क व्यक्ति: मिथलेश कुमार, फोन नंबर 7080804466, ईमेल: Mithalesh.kumar@c1india.com, ईमेल: tn@c1india.com, Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com और सपोर्ट (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबर +91–7291981124/25/26, सपोर्ट ईमेल – Support@bankeauction.com से संपर्क कर सकते हैं। 13. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पहले से पंजीकृत करना होगा और इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होने पर तुरंत बदलने की सलाह दी जाती है। 14. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से वापसी योग्य जमा धरोहर राशि (ईएमडी) यानी आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर बताया गया है) जमा करना होगा। 15. इच्छुक पार्टियां विवरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं और 15.09.2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऑफर, ईएमडी जमा कर सकती हैं। 16. क्रेता को खरीद से संबंधित सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर और अन्य वैधानिक खर्च वहन करना होगा। 17. बिक्री सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

अनुसूची

प्रतिभूत आस्ति का विवरण: पहली मंज़िल पर फ्लैट नंबर 106, फ्लैट का एरिया 65 वर्ग मीटर है। प्लॉट नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, जो खसरा नंबर 3क और 3ख में शामिल हैं, कृष्णा रेजीडेंसी, गाँव छपरोला, तहसील दादरी, ज़िला गौतम बुद्ध नगर उ.प्र.–201009 में स्थित हैं।
आरक्षित मूल्य: रु. 12,00,000/– (रुपये बारह लाख मात्र)
ईएमडी: रु. 1,20,000/–
ऋण संख्या: GR/SKP/SUPR/A000000330 और CO/CPC/CPOF/A000004380
कर्जदारों के नाम: 1. श्री मोहसिन खान, 2. श्रीमती शबाना।
ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि: 15.09.2026 शाम 5:00 बजे तक।
ई–नीलामी की तिथि/समय: 16.09.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
बोली वृद्धि राशि: रु. 10,000/–

दिनांक: 30–08–2026, स्थान: गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

HDFC BANK — एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–67
फोन : 011–41596568, कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल65920एमएच1994पीएलसी080618, वेबसाइट : www.hdfcbank.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** (इससे पूर्व एचडीएफसी लिमिटेड जिसका माननीय एनसीएलटी–मुंबई के 17 मार्च 2023 दिनांकित आदेश से अनुमोदित समामेलन की एक योजना के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों/बंधककर्ताओं को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/ कानूनी उत्तराधिकारियों/ कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	भौतिक कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1.	श्री अमित कुमार राय	31 मई 2024 को बकाया रु 42,37,470/–	21–जून –2024	25–अगस्त–2026	आवासीय अपार्टमेंट नंबर सी1 803, 8वीं मंजिल पर, टॉवर एलियस, आवासीय समूह आवास परियोजना "फ्लोरा हेरिटेज" में, प्लॉट जीएच–16बी, सेक्टर 1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा शामिल है।
2.	श्री थॉमस जूलियस [उधारकर्ता सुश्री कामना लवली विल्सन (मृतक) के पति/कानूनी वारिस/ कानूनी प्रतिनिधि,] और सुश्री कामना लवली विल्सन (मृतक) के अन्य ज्ञात और अज्ञात कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और उत्तरापेक्षी	31 मार्च 2026 को बकाया रु 15,48,374/–	29–अप्रैल –2025	27–अगस्त–2026	आवासीय प्लॉट संख्या 877, मंजिल 8वीं, ब्लॉक गोदावरी, टाइप एचआईजी, महागुन पुरम में, एनएच 24 पर, महरौली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा शामिल है।

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

तथापि, उपरोक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 13(4) के पठित कथित अधिनियम के नियम 8 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से उपरोक्त वर्णित **क्रम सं0 1 से 2 की अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर भौतिक कब्जा** ले लिया है।

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदारों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर कोई भी लेनदेन एचडीएफसी के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदारों को प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्जदारों से अनुरोध है कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रतियाँ प्राप्त कर लें।

स्थान: ग्रेटर नोएडा — **कृते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**
दिनांक: 29–अगस्त–2026 — ह0/–
पंजीकृत कार्यालय: एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई – 400013 — प्राधिकृत अधिकारी

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015, ईमेल: **auction@hindujahousingfinance.com**

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस परिशिष्ट IV-A (नियम 8(6) का परंतुक देखें)

संपर्क सं. आरएलएम – ब्रजेश अवस्थी 99183 01885, आरआरएम – हरीश यादव 70604 11785, जेडआरएम – राकेश गुप्ता 98739 25255

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को बंधक / प्रभारित है, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यो : 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई – 600015 और इसका शाखा कार्यालय: प्रथम तल, ओम पैलेस सिनेमा, 547, भगवान नगर, दिल्ली रोड, हापुड़–245101 को उधारकर्ताओं और गारंटरों से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तारीखों पर **"जैसा है जहां है", "जैसा है वह क्या है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **www.bankeauctions.com/** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 08.10.2026 को अपरा. 17.00 बजे। ई–नीलामी की तिथि : 09.10.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक। बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/–

| क्र. सं. | ऋण खाता नं. और कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) का नाम/ | धारा 13(2) के त